FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी...........

प्रार्थीगण **बनाम**	विप्रार्थीगण
1. हरदाराम वल्द पदमाराम जाति कलबी निवासी मघाणी मेघवालों की ढाणी ग्राम पंचायत रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. दौलाराम वल्द पदमाराम वगैरा (7) 8. शाखा प्रबन्धक एसबीआई/एसबीबीजे शाखा गुड़ामालानी 9. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

किस्म मुकदमा......धारा 212 रा.का.अ.

मु0नं0......27/21.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
19.03.2021	प्रार्थी हरदाराम की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री चिमनसिंह चौधरी द्वारा विप्रार्थीगण दौलाराम वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र रतनपुरा के राजस्व ग्राम सोढों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 552/1 रकबा 22–08 बीघा, खसरा नम्बर 500/1 रकबा 6–00 बीघा, खसरा संख्या 471 रकबा 44–00 बीघा, ग्राम मघाणी मेघवालों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 326, 379, 388 रकबा कमशः 30–06, 21–04, 0–12 कुल रकबा 52–02 बीघा, ग्राम गाडरियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 149 रकबा 62–11 बीघा, खसरा संख्या 149/3 रकबा 12–10 बीघा, मौजा रतनपुरा के खेत खसरा संख्या 50 रकबा 0–02 बीघा, खसरा संख्या 51/1 रकबा 11–14 बीघा, ग्राम जसवन्तनगर के खेत खसरा संख्या 13/1 रकबा 11–00 बीघा की आई हुई है। जिसमें प्रार्थी व विप्रार्थीगण मौखिक बंटवाडा अनुसार अपने अपने हक हिस्सा अनुसार ढाणीयां, टांके आदि बनाकर काबिज काश्त हैं। कानूनी बंटवाडा नहीं होने तथा भूमि संयुक्त होने के कारण अपने अपने हिस्सों की सीमाओं को लेकर हर समय विवाद बना रहता है। प्रार्थीगण द्वारा अपने हक हिस्से की उपजाऊबनाई गई भूमि पर विप्रार्थीगण जबरन कब्जा कर बिना बंटवाडा कराये अजनवी व्यक्तियों को बेचान करने एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण ने अपना हिस्सा अलग करबाकर शेष प्रतिवादीगण से बंटवाडा करवाने हेतु अधिकारों की घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में प्रस्तुत किया गया है। जिसके निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रार्थी व विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं। जिसमें पक्षकारान की खातेदारी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में निहित है। एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आरजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र रतनपुरा के राजस्व ग्राम सोढों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 552/1 रकबा 22–08 बीघा, खसरा नम्बर 500/1 रकबा 6–00 बीघा, खसरा संख्या 471 रकबा 44–00 बीघा, ग्राम मघाणी मेघवालों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 326, 379, 388 रकबा कमशः 30–06, 21–04, 0–12 कुल रकबा 52–02 बीघा, ग्राम गाडरियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 149 रकबा 62–11 बीघा, खसरा संख्या 149/3 रकबा 12–10 [illegible] रतनपुरा के खेत खसरा संख्या 50 रकबा 0–02 बीघा, खसरा संख्या 51/1 रकबा 11–14 बीघा, ग्राम जसवन्तनगर के खेत खसरा संख्या 13/1 रकबा [illegible] बीघा की भूमि में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में [illegible] रेकर्ड की यथा[illegible] बनाए रखें। वकील प्रार्थी विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये [illegible] करें विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक [illegible] पेश हो। (वीरमाराम) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि : 1. तहसीलदार गुड़ामालानी 2. प्रार्थीगण/विप्रार्थीगण (वीरमाराम) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:34:18 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/9/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। विपक्षी क्र. 8 की ओर से वकील श्री गंगाराम चौधरी उप०। शेष विपक्षीगण अनु०। इंतजार होकर पत्रावली दि० 23/9/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23/9/2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं विपक्षी क्र. 08 के वकील उपस्थित। शेष विपक्षीगण अनुपस्थित। इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 30/9/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर SDO (गुड़ामालानी)	
30/09/22	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। बहस सुनी गई। इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 19/03/2021 वादीगण के हक हितों की रक्षा तक मुवर (Confirm) की जाती है। पत्रावली निर्णीत हुआ होकर हल तय है साथ तन्की हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:34:18 IST
Reason: SelfAttested